

कार्बोनाइड की पूर्ण-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.  
वि.पू.सु. भोपाल-02-06.



पंजी. क्रमांक भोपाल टिप्पोजन  
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2006—आषाढ़ 9, शक 1928

#### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2006

क्र. 4054 4948-2005-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 152 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उन दरों की संशोधित करती है, जिन पर किसी ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने उक्त अधिनियम के अधीन पंचनीय विद्युत् की वीरी का अपराध किया है या निम्नलिखित संबंध में युक्तिपूर्ण रूप से संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, अपराध के प्रथम के तौर पर ऐसी धनराशि, उक्त अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) के अधीन स्वीकार की जा सकेगी, जो कि नीचे दी गई सारणी (टेबल) में विनिर्दिष्ट की गई है :-

#### सारणी

अनु- क्रमांक	प्रकार	विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 152 में विनिर्दिष्ट की गई दरें	संशोधित दर जिस पर प्रथम करने के लिए धनराशि प्रति किलोवॉट (के.डब्ल्यू.)/ अरवराकिं (एच.पी.) या उसका भाग, निम्न दाब (एल.टी.) की सप्लाय और प्रति किलोवॉट एम्पीयर (के.वी.ए.), डम्बराज (एच.टी.) की सप्लाय के लिए संविदात्मक मांग के अनुसार संग्रहीत की जानी है	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	औद्योगिक सेवा	रु. 20000/-	10 हार्सपावर तक	रु. 2000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
			10 हार्सपावर से ऊपर तथा 20 हार्सपावर तक.	रु. 5000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
			20 हार्सपावर से ऊपर	रु. 10,000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
2	वाणिज्यिक सेवा	रु. 10000/-	5 किलो वॉट तक	रु. 1000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
			5 किलो वॉट से ऊपर	रु. 2,500/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	कृषि सेवा	रु. 2,000/-	रु. 1000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.
4	अन्य सेवा	रु. 4,000/-	रु. 1000/- प्रति हार्सपावर और उसका भाग.

ये दरें इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी.

Bhopal, the 30th June 2006

No. 4054-4948-2005-XIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 152 of Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby amend the rates at which the sum of money by way of compounding of the offences may be accepted under sub-section (1) of Section 152 of the said Act from any consumer or person, who committed or who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under the said Act, as specified in the table below :—

TABLE

No.	Category	Rate specified under sub-section 152 of Electricity Act 2003	Amended rate at which the sum of money for compounding to be collected per Kilo Watt (KW)/ Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Watt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT).
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Industrial Service	Rs. 20,000/-	Up to 10 HP Above 10 HP and up to 20 HP Above 20 HP
			Rs. 2000/- per HP and part thereof. Rs. 5000/- per HP and part thereof. Rs. 10000/- per HP and part thereof.
2	Commercial Service	Rs. 10,000/-	Up to 5 KW Above 5 KW
			Rs. 1000/- per HP and part thereof. Rs. 2500/- per HP and part thereof.
3	Agricultural Service	Rs. 2,000/-	-
			Rs. 1000/- per HP and part thereof.
4	Other Services	Rs. 4,000/-	-
			Rs. 1000/- per HP and part thereof.

These rates shall come into force from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. वी. अग्रवाल, अपर सचिव.